भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1346

(सोमवार, 08 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

पिछड़े क्षेत्रों में सीएसआर

1346. श्री अरुण कुमार सागरः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सरकार के अधीन विभिन्न उपक्रमों ने विगत तीन वर्षों के दौरान सीएसआर (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) के अंतर्गत अब तक धनराशि आवंटित की है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान विशेषकर अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में कितनी धनराशि व्यय की गई है और किन-किन मदों पर उक्त धनराशि व्यय की गई है तथा इससे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या उपक्रम-वार, जिला-वार, स्थान-वार और वर्ष-वार क्या है;
(ग) क्या सरकार का विचार देश में, खासकर पिछड़े और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में सीएसआर के अंतर्गत धनराशि खर्च करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का है;
(घ) यदि हाँ, तो क्या देश के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है या शामिल करने का प्रस्ताव है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।
(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): जी हां, श्रीमान।
(ख): वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वि.व.) अथार्त् 2021-22 से 2023-24 के लिए भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा किए गए सीएसआर व्यय का राज्य-वार और विकास क्षेत्र-वार विवरण क्रमशः अनुलग्नक-I और II में संलग्न है। किसी विशेष समुदाय अथवा किसी विशेष समुदाय के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों पर सीएसआर व्यय के आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। सीएसआर व्यय से संबंधित जिलावार, कंपनी-वार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-वार, राज्य-वार, विकास क्षेत्र-वार आंकड़े आदि www.csr.gov.in पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।
(ग): कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार, सीएसआर एक बोर्ड द्वारा संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के आधार पर कंपनी की सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उन्हें निष्पादित करने और उन पर निगरानी करने का अधिकार प्राप्त है। सरकार किसी विशेष क्षेत्र या कार्यकलाप में अथवा किसी विशेष समुदाय के लिए व्यय करने के लिए कारपोरेटस् को कोई निदेश जारी नहीं करती है।
(घ) और (ङ): भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*****

अनुलग्नक-I

दिनांक 08.12.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1346 के भाग (ख) से संदर्भित वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा राज्यवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.64	1.04	1.18
2.	आंध्र प्रदेश	52.34	52.32	62.41
3.	अरुणाचल प्रदेश	11.25	7.93	15.51
4.	असम	231.81	298.05	316.07
5.	बिहार	56.48	110.29	91.13
6.	चंडीगढ़	0.29	0.59	0.16
7.	छत्तीसगढ़	166.01	161.24	109.91
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1.63	1.42	6.10
9.	दिल्ली	353.33	448.95	683.27
10.	गोवा	4.22	4.75	19.83
11.	गुजरात	131.40	121.88	78.26
12.	हरियाणा	58.08	38.61	55.22
13.	हिमाचल प्रदेश	60.71	55.99	55.68
14.	जम्मू और कश्मीर	24.69	25.87	45.11
15.	झारखंड	67.45	114.81	142.32
16.	कर्नाटक	193.36	167.02	167.81
17.	केरल	38.51	54.47	48.57
18.	लक्षद्वीप	0.53	-	-
19.	लेह और लद्दाख	9.54	5.09	11.58
20.	मध्य प्रदेश	148.22	206.98	240.08
21.	महाराष्ट्र	324.86	308.71	401.57
22.	मणिपुर	8.97	12.93	9.44
23.	मेघालय	1.68	1.78	1.36
24.	मिजोरम	5.09	9.03	2.92
25.	नागालैंड	4.25	6.33	6.55
26.	ओडिशा	397.61	396.65	486.38
27.	पुडुचेरी	0.86	2.26	8.32
28.	पंजाब	7.08	12.59	12.88
29.	राजस्थान	52.25	58.14	49.56
30.	सिक्किम	18.77	23.70	24.72
31.	तमिलनाडु	74.65	102.65	173.74
32.	तेलंगाना	94.90	81.78	85.71
33.	त्रिपुरा	10.95	14.44	3.21
34.	उत्तर प्रदेश	213.91	229.93	349.34
35.	उत्तराखंड	84.49	116.03	144.15
36.	पश्चिम बंगाल	100.45	138.44	118.11
37.	पैन इंडिया *	869.43	403.58	319.98
38.	अन्य केंद्रीकृत निधि	526.47	315.80	425.03
39.	एनईसी/उल्लिखित नहीं *	-	-	-
	कुल	**4,407.17**	**4,112.08**	**4,773.17**

(31.03.2025 तक का आंकड़ा) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

*** कंपनियों ने या तो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम विनिदष्ट नहीं किए थे या एक से अधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया था जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।**

*****

अनुलग्नक-II

दिनांक 08.12.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1346 के भाग (ख) से संदर्भित

वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	**विकास क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**
1.	कृषि वानिकी	3.47	0.65	0.70
2.	पशु कल्याण	3.16	2.96	20.05
3.	सशस्त्र बल, पूर्व सैनिक, विरांगनाएं/आश्रित	9.56	4.98	17.99
4.	कला और संस्कृति	26.36	69.71	120.11
5.	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	10.18	21.19	24.82
6.	शिक्षा	825.93	669.72	884.13
7.	पर्यावरणीय स्थिरता	275.58	265.67	243.96
8.	लैंगिक समानता	1.28	3.02	2.91
9.	स्वास्थ्य सेवा	1,386.65	1,527.74	1,494.16
10.	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	31.81	156.47	524.50
11.	गरीबी, भुखमरी का उन्मूलन, कुपोषण	119.69	23.92	63.94
12.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	380.66	372.84	442.33
13.	सुरक्षित पेयजल	33.58	39.91	127.53
14.	स्वच्छता	142.77	226.41	105.13
15.	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	7.32	5.40	3.26
16.	महिलाओं के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना	1.71	6.10	5.20
17.	अनाथालय की स्थापना	1.37	2.02	0.92
18.	स्लम क्षेत्र विकास	36.23	2.21	4.83
19.	सामाजिक-आर्थिक समानताएं	14.40	20.55	9.59
20.	विशेष शिक्षा	3.99	11.66	12.17
21.	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	0.61	-	-
22.	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	56.91	102.50	129.16
23.	व्यावसायिक कौशल	142.33	142.97	169.40
24.	महिला सशक्तिकरण	22.21	29.89	43.90
25.	केंद्र सरकार के अन्य फंड	869.43	403.58	319.98
26.	एनईसी/उल्लिखित नहीं *	-	-	2.52
	कुल	**4,407.17**	**4,112.08**	**4,773.17**

(31.03.2025 तक का आंकड़ा) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

* कंपनियों ने या तो उन क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों का संकेत दिया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

*****